25

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R 4234-I/14 /2014 जिला–जबलपुर

श्रीमती रामरती उर्फ आरती साहू पत्नी स्व. ओंकार साहू निवासी ग्राम कुण्डम तहसील कुण्डम जिला – जबलपुर (म.प्र.)

-- आवेदक

श्री ... चतुर्वेदी अधि. 19.12.14 को द्वारा आज दि. ... प्रस्तुत

19.12.14

विरूद्ध

1– श्रीमती मूला बाई साहू विधवा श्री पलटूराम द्वारा मुख्त्यार रामदास साहू पुत्र रीपलटू साहू

2– जगजीवन दास साहू पुत्र स्व. पलटूराम साहू निवासीगण– ग्राम कुण्डम तहसील कुण्डम जिला – जबलपुर (म.प्र.)

3– मध्य प्रदेश शासन द्वारा बंदोबस्त विभाग कुण्डम जिला – जबलपुर (म.प्र.)

-- .अनावेदकगण

12/14

(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 4234–एक/14 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–1–15	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित । उन्हें समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन व ग्राहयता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 5 के आवेदन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 267/बी–121/09–10 में पारित आदेश दिनांक 10–9–10 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी लगभग 4 वर्ष से भी अधिक के विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं बतलाया है। अतः यह निगरानी अवधिबाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	